



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270880
CG-DL-E-12032026-270880

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1229]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1229]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1286(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6162(E) तारीख 31/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में NH58 के कि.मी. 0 से कि.मी.56.62 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16/01/2026" को "संदेश" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में NH58 के कि.मी. 0 से कि.मी.56.62 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: साबरकांठा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: विजयनगर					
गांव का नाम: केलवा					
1	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0046	असारी पनाजी मनुजी, असारी कानाजी मनुजी, असारी रूपीबेन मनुजी
गांव का नाम: अन्नसुम्भा					
2	11	निजी	एग्रीकल्चर	0.0936	भगोरा वरजुबेन वालजी, भगोरा अंजुबेन बच्चूभाई, भगोरा मणिकाबेन बच्चूभाई, भगोरा विक्रमभाई बच्चूभाई, भगोरा विष्णुकुमार बच्चूभाई, भगोरा सविताबेन बच्चूभाई, भगोरा उर्मिलाबेन बच्चूभाई, भगोरा अरविंदभाई वालजी, भगोरा मधुबेन वालजी
3	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.08	हरिजन मोहनभाई जेठाभाई, हरिजन लाडुबेन मगनभाई, हरिजन कमलाबेन मगनभाई, हरिजन रमेशभाई मगनभाई, हरिजन रीटाबेन बाबुभाई, हरिजन रिकलबेन बाबुभाई सगीर का वाली हरिजन रीटाबेन, हरिजन यशकुमार बाबुभाई सगीर का वाली हरिजन रीटाबेन, हरिजन (राठौड़) रमीलाबेन गोविंदभाई, हरिजन (राठौड़) कमलेशभाई गोविंदभाई, हरिजन (राठौड़) गीताबेन गोविंदभाई
4	600	निजी	एग्रीकल्चर	0.0043	काथोडी रामाजी काशीराम, काथोडी रामाजी सोमाजी, काथोडी मटुबेन सोमाजी, काथोडी मनकीबेन सोमाजी, काथोडी रमीलाबेन सोमाजी, काथोडी इकलाभाई सोमाजी, काथोडी रूपलाभाई सोमाजी, काथोडी जीवलीबेन सोमाजी, काथोडी हस्वीबेन सोमाजी, काथोडी नवलीबेन सोमाजी (सोमा काला की विधवा)
गांव का नाम: अन्द्रोखा					
5	23	निजी	एग्रीकल्चर	0.0112	रांयणीया मणीलाल वालजीभाई, रांयणीया खीमजी वालजीभाई, रांयणीया सविताबेन वालजीभाई, रांयणीया बाबुभाई वालजीभाई, रांयणीया रतनबेन वालजीभाई, रांयणीया सकरीबेन वालजीभाई

6	92	निजी	एग्रीकल्चर	0.0099	खैर बाबु विरमाजी खैर शांतीलाल विरमाजी खैर राजुभाई विरमाजी दीतुबेन वाडीलाल खैर अर्जुनभाई वाडीलाल खैर लक्ष्मीबेन वाडीलाल खैर दिनेशभाई वाडीलाल खैर
गांव का नाम: कुन्ड्ला					
7	NA8 Paiki	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0271	बनेवत गगनदीपसिंह हरदयालसिंह
गांव का नाम: भाभुडी					
8	18	निजी	एग्रीकल्चर	0.0211	भगोरा देवाजी कालाजी
तालुक का नाम: वडालि					
गांव का नाम: जलोद्रा					
9	NA94	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0537	पटेल रघजीभाई धनजीभाई, पटेल जशीबेन रघजीभाई, पटेल नरेन्द्रभाई रघजीभाई, पटेल अजयभाई रघजीभाई
तालुक का नाम: इदर					
गांव का नाम: पनोल					
10	558	निजी	एग्रीकल्चर	0.1147	पटेल दिवाबेन भीखाभाई, चौधरी हितेशभाई भीखाभाई
गांव का नाम: चोरीवाघ					
11	90/पैकी 2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0017	पटेल नरेन्द्रकुमार लालजीभाई
12	NA5/2 पैकी	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0399	धी चोरीवाड ग्रुप सेवा सहकारी मंडल ली. चोरीवाड
Total				0.4618	

[फा. सं. GJ/P/V/15/2019/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1286(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **6162(E) Dated:31/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH58 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 56.62 in the district of Sabarkantha in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in "**Sandesh**" And "**Times Of India**" both dated "**16/01/2026**"; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH58 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 56.62 in the district of Sabarkantha in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT			District: Sabarkantha		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Vijaynagar					
Village: Kelava					
1	239	Private	Agriculture	0.0046	Asari Panaji Manuji, Asari Kanaji Manuji, Asari Rupiben Manuji
Village: Antarsumba					
2	11	Private	Agriculture	0.0936	Bhagora Varjuben Valji, Bhagora Anjuben Bachubhai, Bhagora Manikaben Bachubhai, Bhagora Vikrambhai Bachubhai, Bhagora Vishnukumar Bachubhai, Bhagora Savitaben Bachubhai, Bhagora Urmilaben Bachubhai, Bhagora Arvindbhai Valji, Bhagora Madhuben Valji
3	247	Private	Agriculture	0.08	Harijan Mohanbhai Jethabhai, Harijan Laduben Maganbhai, Harijan Kamlaben Maganbhai, Harijan Rameshbhai Maganbhai, Harijan Ritaben Babubhai, Harijan Rinkalben Babubhai Minors Guardian Harijan Ritaben, Harijan Yashkumar Babubhai Minors Guardian Harijan Ritaben, Harijan (Rathod) Ramilaben Govindbhai, Harijan (Rathod) Kamleshbhai Govindbhai, Harijan (Rathod) Geetaben Govindbhai
4	600	Private	Agriculture	0.0043	Kathodi Ramaji Kashiram, Kathodi Ramaji Somaji, Kathodi Matuben Somaji, Kathodi Mankiben Somaji, Kathodi Ramilaben Somaji, Kathodi Iklabhai Somaji, Kathodi Ruplabhai Somaji, Kathodi Jivaliben Somaji, Kathodi Hasbiben Somaji, Kathodi Navliben Somaji (Widow of Soma Kala)
Village: Androkha					
5	23	Private	Agriculture	0.0112	Rayaniya Manilal Valjibhai, Rayaniya Khimji Valjibhai, Rayaniya Savitaben Valjibhai, Rayaniya Babubhai Valjibhai,

					Rayaniya Ratanben Valjibhai, Rayaniya Sakriben Valjibhai
6	92	Private	Agriculture	0.0099	Khair Babu Virmaji Khair Shantilal Virmaji Khair Rajubhai Virmaji Dituben Vadilal Khair Arjunbhai Vadilal Khair Lakshmiben Vadilal Khair Dineshbhai Vadilal Khair
Village: Kundala					
7	NA8 Paiki	Private	Non Agriculture	0.0271	Banevat Gagandeepsinh Hardayalsinh
Village: Bhambhudi					
8	18	Private	Agriculture	0.0211	Bhagora Devaji Kalaji
Taluk: Vadali					
Village: Jalodara					
9	NA94	Private	Non Agriculture	0.0537	Patel Raghajibhai Dhanjibhai, Patel Jashiben Raghajibhai, Patel Narendrabhai Raghajibhai, Patel Ajaybhai Raghajibhai
Taluk: Idar					
Village: Panol					
10	558	Private	Agriculture	0.1147	Patel Divaben Bhikhabhai, Chaudhari Hiteshbhai Bhikhabhai
Village: Choriwad					
11	90/Paiki 2	Private	Non Agriculture	0.0017	Patel Narendrakumar Laljibhai
12	NA5/2 Paiki	Private	Non Agriculture	0.0399	The Chorivad Group Seva Sahkari Mandali Ltd. Chorivad
Total				0.4618	

[F. No. GJ/P/V/15/2019/3D]
SHAIKH AMINKHAN, Director